D.10-1500/2018

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

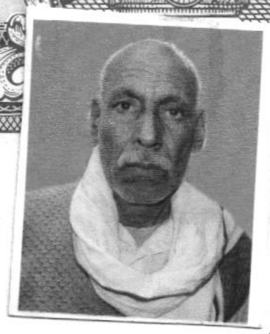

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CB 567396

17 JAN 2018

।। ओउम सिद्धिदात्री नमः ।।

<u>लेखपत्र / विक्रयपत्र आराजी का संक्षिप्त विवरण–</u>

1. भूमि का प्रकार : कृषि
2. स्थित : मौजा सलैमपुर (मथुरा) तहसील व जिला मथुरा।
3. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : **बिक्रय रकवा 0.1200 हैक्टेअर सम्पूर्ण अंश**
4. सड़क की स्थिति : सड़क, खरंजा व आबादी से दूर स्थित है।
5. प्रतिफल की धनराशि : 6,00,000 / –रूपये
6. मालियत : 6,00,000 / –रु.
7 देय स्टाम्प : 42,000 / –रु.
8. उक्त क्षेत्र की कृषि भूमि का सरकारी रेट –50,00,000 / –रुपया प्रति हैक्टेअर, जो पेज नं. कोड पर दर्ज है।

कार्य क्षेत्र उपनिबन्धक ।। मथुरा।

विजेन्द्र

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 567397 CB 567397

17 JAN 2018

{2}

<u>प्रथम पक्ष की संख्या : (1)</u>
<u>विक्रेता का विवरण</u>
विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री कन्हैया निवासी ग्राम सलैमपुर तहसील व जिला मथुरा।

<u>द्वितीय पक्ष की संख्या : (1)</u>
<u>क्रेता का विवरण</u>
मैसर्स महाराजा रीयलटैक द्वारा पार्टनर हरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह जी निवासी ग्राम पालीडूंगरा तहसील गोवर्धन जिला मथुरा, हाल निवासी महाराजा हाउस, आनन्दलोक, गोवर्धन रोड़ मथुरा।
पैन : ए बी ई एफ एम 9647 ए – मैसर्स महाराजा रीयलटैक मथुरा
पैन : ए एक्स एच पी एस 2049 बी – हरेन्द्र प्रताप सिंह

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 567398

CB 567398

07 JAN 2018

{3}

जोकि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी नकल खतौनी फसली वर्ष 1420–1425 के अनुसार खाता सं. 00077 खसरा नं. 61 रकवा 0.3600 हैक्टेअर लगानी कागजातानुसार स्थित मौजा सलैमपुर (मथुरा) तहसील व जिला मथुरा, में विक्रेता का रकवा 0.1200 है0 सम्पूर्ण अंश मिल्कियत बिक्रेता प्रथम पक्ष की आराजी भूमिधरी है, जिस पर प्रथम पक्ष विक्रेता का ही कब्जा है तथा उक्त आराजी पर प्रथम पक्ष विक्रेता ही बहैसियत मालिक, काबिज व दखील चला आता है तथा प्रथम पक्ष विक्रेता का ही नाम राजस्व अभिलेखों व सरकारी कागजात नकल खतौनी आदि में दर्ज हैं। सिवाय प्रथम पक्ष विक्रेता के उक्त आराजी का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं है और न किसी जगह रहन व गिरवी आदि है तथा प्रथम पक्ष को उक्त आराजी की

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 567399 CB 567399

07 JAN 2018

बाबत पूरे मालिकाना काबिजाना व हस्तान्तरण आदि के अधिकार प्राप्त है तथा उक्त आराजी किसी सरकारी संस्था या बैंक आदि में बंधक नहीं है और न किसी डिग्री में नीलाम या कुर्क है और ऐसा कोई व्यक्ति अथवा वस्तु नहीं है, जो उक्त आराजी के बेचने या हस्तान्तरण आदि करने में बाधा या रूकावट डाल सके और न ही प्रथम पक्ष ने उक्त आराजी की बाबत कोई इकरारनामा किसी के साथ तय किया है, यानि हर प्रकार के झगड़े झंझट व कर्जे व जमानत आदि से पाक साफ तन्हा प्रथम पक्ष विक्रेता की ही आराजी भूमिधरी है। उक्त आराजी से प्रथम पक्ष को कोई खास लाभ व आय नहीं है तथा काश्त से भी अच्छी आय नहीं हो पाती है और विक्रेता प्रथम पक्ष को अपने व अपने परिवार की जरूरतों के लिए धन की आवश्यकता है। अतः

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 567400

CB 567400

7 JAN 2018

प्रथम पक्ष विक्रेता ने अपनी आराजी को विक्रय कर देना उचित समझा है। उक्त आराजी के विक्रय से प्राप्त धनराशि को कहीं और निवेश कर देने से प्रथम पक्ष को एक अच्छी व नियमित आय हो जावेगी और इस समय द्वितीय पक्ष उक्त आराजी को अच्छी कीमत देकर क्रय करने को तैयार है, इस कीमत में बेच देने में प्रथम पक्ष विक्रेता का सरासर लाभ है। अतः उक्त आराजी भूमिधरी **बिक्रय हिस्सा रकवा 0.1200 हैक्टेअर सम्पूर्ण अंश** जिसको संलग्न नक्शा मानचित्र में रंग लाल से दर्शाया गया है, को समस्त हकूक व अधिकारो सहित जो प्रथम पक्ष विक्रेता को प्राप्त हैं अथवा भविष्य में प्राप्त हो यानि कुल को बिना छोडे किसी भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध के समस्त राईट्स व इन्ट्रेस्ट व गुड टाईटिल के व समस्त हकूक व अधिकारों सहित वखुशी बराजी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 567401 CB 567401

7 JAN 2016

अपने बऐवज 6,00,000/–रु. (छैः लाख रूपये) में बदस्त **मैसर्स महाराजा रीयलटैक द्वारा पार्टनर हरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह जी निवासी ग्राम पालीडूंगरा तहसील गोवर्धन जिला मथुरा, हाल निवासी महाराजा हाउस, आनन्दलोक, गोवर्धन रोड़ मथुरा,** खरीदार द्वितीय पक्ष के हक में बेच दी और बिक्री कर दी और कीमत का कुल रूपया प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से निम्न भाँति प्राप्त करके व कुल रुपये की प्राप्ती होना अंगीकार कर कब्जा व दखल बेची गयी आराजी **रकवा 0.1200 हैक्टेअर सम्पूर्ण अंश भूमि** पर खरीदार द्वितीय पक्ष का प्रथम पक्ष ने वाकई अपने समान पूरा मालिकाना करा दिया। द्वितीय पक्ष बेची गयी उक्त आराजी पर आज से एकमात्र मालिक व स्वामी हो गयी। वह समस्त अधिकार मालिकाना,

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 567402

CB 567402

07 JAN 2018

{7}

काबिजाना व हस्तान्तरण आदि प्रयोग में लावे और जिस प्रकार चाहे प्रयोग करे और जो चाहे सो करे तथा अपना नामान्तरण सरकारी कागजात व राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष के स्थान पर दर्ज करावे। अब बेची गयी उक्त आराजी से प्रथम पक्ष व उसके वारिसों का कुछ भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध किसी प्रकार का शेष नहीं रहा और न कभी आयन्दा भविष्य में कदापि होगा। खरीदार द्वितीय पक्ष उक्त आराजी को चाहें जिस प्रकार से प्रयोग करे और जो चाहे सो करे, इसमें प्रथम पक्ष विक्रेता व उसके वारिसों को कुछ उज्र न होगा। यदि बेची गयी आराजी का जुज या कुल हिस्सा खरीदार से निकल जावे, या उसकी बाबत कहीं रहन व गिरवी आदि निकले या खरीदार द्वितीय पक्ष को उसकी बाबत कुछ खर्च करना पडे या देना पडे, तो उस सबकी

विजेन्द्र

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 567403 CB 567403

07 JAN 2018

{8}

बिक्रेता प्रथम पक्ष की पूरी जिम्मेदारी होगी तथा खरीदार अपना मूल्य का कुल रुपया व समस्त हर्जा–खर्चा बिक्रेता प्रथम पक्ष व उसके वारिसान से वसूल करने के अधिकारी होंगे। बेची गयी आराजी विकास शुल्क क्षेत्र के अन्दर स्थित है। विक्रेता व खरीदार दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। विक्रयशुदा भूमि किसी भी ग्रामसभा सीलिंग भूदान आदि के पट्टा आबंटन की भूमि नहीं है और उक्त आराजी में कोई पेड बोरिंग कुँआ, ट्यूब्बैल आदि नहीं है। बेची गयी आराजी के 200 मीटर त्रिज्या में आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक गतिविधियाँ विद्यमान नहीं है तथा खेती हो रही है। अतः यह बैनामा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के हक में अपनी राजी खुशी से पूर्ण स्वस्थ्यचित्त होशो–हवास में बिना किसी दबाव के स्वेच्छापूर्वक खूब सोच समझकर बिना किसी दबाव के लिख दिया, कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 333521

27 JAN 2018

<u>विवरण मूल्य का कुल रुपया प्राप्ती का–</u>

मूल्य का कुल 6,00,000 / –रु विक्रेता ने क्रेता से इस प्रकार प्राप्त किए कि'–

2,00,000 / –रु चैक सं. 000558 दि0 29.01.2018 ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त पालीखेडा मथुरा।

2,00,000 / –रु चैक सं. 000559 दि0 29.01.2018 ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त पालीखेडा मथुरा।

2,00,000 / –रु चैक सं. 000560 दि0 29.01.2018 ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त पालीखेडा मथुरा।

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री विजेन्द्र सिंह, पुत्र श्री कन्हैया

निवासी: सलेमपुर मथुरा

व्यवसाय: अन्य

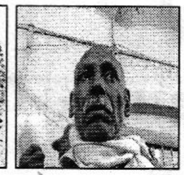

क्रेता: 1

श्री मै० महाराजा रीयलटेक द्वारा पार्ट० हरेन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा हरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ हरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री महाराज सिंह जी

निवासी: पालीडूंगरा मथुरा

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री भरत सिंह, पुत्र श्री कन्हैया

निवासी: सलेमपुर मथुरा भरतसिंह

व्यवसाय: अन्य

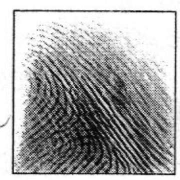
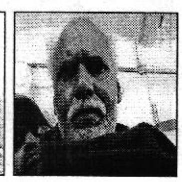

पहचानकर्ता : 2

श्री विवेक, पुत्र श्री नितिन

निवासी: महाविद्या कालोनी मथुरा

व्यवसाय: अन्य

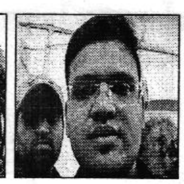

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतःभद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

मोहम्मद सलमान (प्रभारी)
उप निबंधक : सदर प्रथम
मथुरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 333522

27 JAN 2018

{10}

यह प्रलेख दोनों पक्षों के निर्देशानुसार समक्ष गवाहान उन्हें पढ़ाकर, सुनाकर व दिखाकर ड्राफ्ट व टाईप किया गया है।

दिनांक : 29.01.2018
टाईप किया : के0 के0 शर्मा, मथुरा।
ड्राफ्ट किया : नितिन बंसल कातिब रजिस्ट्री कार्यालय मथुरा

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 13777 के पृष्ठ 379 से 400 तक
क्रमांक 1500 पर दिनाँक 29/01/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

जनरल स्टाम्प क्रीo
क्रo 97 ताo 29-1-18
नाम ______ पुत्र/पत्नी श्री ______
सoमo 94 निo ______
अरविन्द कुमार स्टाम्प विक्रेता
लाoनo 11, रजिस्ट्री आफिस, मथुरा

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मोहम्मद सलमान (प्रभारी)
उप निबंधक : सदर प्रथम
मथुरा

नक्शा नजरी वाके मौजा · मलैनपुर (
खसरा नं. 61 रकबा · 0·3600 हे. के 1/3 भाग
यानि रकबा · 0·1200 हे. सम्पूर्ण अंश (विक्रय)
विक्रेता। विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री कन्हैया।